न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17/2022 – निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पालड़ी –निगराकार	बनाम	1. श्री अरविन्द कुमार पुत्र मदनलाल अजमेरा निवासी 7 एम 7, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा 2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा – गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश 20.10.2014, पत्रावली संख्या 607, पट्टा संख्या 1295/48, तारीख आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री पारस कुमार जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.11.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी के द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरुद्ध पंचायत की बेशकीमती आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के कारण पंचायत को लाखों रूपयों की हानि होने से निगकाराकार के द्वारा यह निगरानी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की पालना नही की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितिकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होकर मात्र 200/–रूपये में 6400 वर्गफीट भूखण्ड का पटटा जारी किया गया, जबकि मौके पर आज भी फैक्ट्री लगी हुई है। निगराकार एक राजकीय संस्था है, जो कि पंचायतीराज अधिनियम से बाधित है, जबकि तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालडी ने राजकीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कौताही बरती हैं और राजकीय पंचायत की आबादी भूमि जो भीलवाड़ा शहर से लगती हुई है यह आबादी भूमि बेशकीमती है जिसमें पंचायत कोष को भारी हानि पहुंचाई है और हुई हैं इस प्रकार पट्टा काबिल खारिज के है।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हुये पुराने गृहों के पटटे का विनियमितिकरण कराया हैं, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विरूद्व प्रतीत होता हैं। इससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार सं. 01 ने प्रश्नगत पट्टा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का गलत प्राप्त किया है एवं तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी ने भी पंचायत को राजकीय राशि की हानि पहुंचाई है।

पत्रावली परीक्षण से पाया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने सरंपच ग्राम पंचायत पालडी को उक्त प्रश्नगत पटटा जारी करने हेतु आवेदन किया गया, जिसमें कितने वर्षों से पुश्तैनी मकान होना बताया हैं एवं न ही आवेदन की दिनांक आवेदक द्वारा अंकित की गयी। आवेदन में पुश्तैनी मकान किन पडौसों के मध्य अवस्थित हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। ऐसे मे ग्राम पंचायत द्वारा किन पडौसों के मध्य आवेदक के पुश्तैनी मकान का निरीक्षण किया जाकर प्रश्नगत पटटा जारी किया गया ? जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 157(ख) में 50 वर्षों से अधिक पुराने गृहों के लिए पटटे हेतु प्रावधान नियत हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत पालडी द्वारा प्रश्नगत पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 157(ख) की उल्लंघना की जाकर विधि विरूद्व कार्य किया जाना प्रतीत होता हैं।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि उक्त निगरानी निगराकार द्वारा बैरून मियाद पेश की हैं जो कानूनन पोषणीय नही हैं।

लिमिटेशन एक्ट बारे में पत्रावली अवलोकन से यह जाहिर आया कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2019 (1) सी जे (सिवि.)(राज.) 230 उषा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान यहां पर चस्पा होते हैं।

निगराकार ने निगरानी मेमो के बिन्दु संख्या 15 में अंकित किया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने स्वयं एवं अपने परिवार के नाम पर कुल 7 पटटे प्राप्त किये है जिनका कुल क्षेत्रफल 32,875 वर्गफीट बनता हैं।

निगरानी के उक्त बिन्दु संख्या 15 का गैर निगराकार संख्या 01 ने किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया कि उक्त 32,875 वर्गफीट क्षेत्रफल का पटटा गैर निगराकार संख्या 01 व उसके परिवार के नाम पर जारी किया हुआ हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता हैं ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्ण अवेहलना करते हुये एक ही परिवार को क्षेत्राधिकार से परे जाकर नियमों के विरूद्व पटटे जारी किये हैं

कलक्टर

जिन्हें निरस्त किया जाना युक्तियुक्त ठहरता हैं।

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपने जवाब मे अंकित किया कि उक्त प्रश्नगत पटटेशुदा भूमि को ग्राम पंचायत से कय की गयी एवं उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन कराया गया।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त विकय पत्र एवं पंजीयन दस्तावेज के संबंध में कोई पुष्ट साक्ष्य या दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं, जिससे जाहिर हो सके कि पटटा जारी होने से पूर्व उक्त प्रश्नगत पटटेशुदा भूमि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा कय की गयी हो। ऐसे में प्रश्नगत पटटा नियमों के विरूद्व जारी किया होना प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 1295/48 दिनांक 20.10.2014 जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पालडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 1295/48 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)